फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 17/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/78) **श्री बसन्तीलाल लोढ़ा बनाम तहसीलदार नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. अपीलार्थी स्वयं - अपीलार्थी 2. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील प्रत्यर्थी-1 से 2 **अनवान** **1. श्री बसन्तीलाल लोढ़ा, एडवोकेट पुत्र स्व.श्री मांगीलाल लोढ़ा, निवासी वृन्दावन धाम, गली नम्बर 3, न्यु भोपालपुरा, उदयपुर।** **अपीलार्थी** **1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।** **2. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा सचिव, न.वि.प्र., उदयपुर।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 91-ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 170/2021 दिनांक 16.06.2021** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 24.09.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर 170/2021 दिनांक 16.06.2021 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91-ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● नगर विकास प्रन्यास के भू-अभिलेख निरीक्षक श्री बाबुलाल तेली एवं पटवारी श्री लक्ष्मण मेघवाल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम आयड़ के आराजी संख्या 1357, 2698/1358 के भुखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट में बिना सेट बेक छोड़े हुए मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माण न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-91ए के तहत अवैध होने से तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उक्त अवैध निर्माण को 07 दिवस में स्वतः अपने स्तर पर हटा लेने अन्यथा बाद मयाद गुजरने के कभी ध्वस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 16.06.2021 पारित किया गया। ● तहसीलदार नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-91ए नगर सुधार अधिनियम, 1959 दिनांक 16.06.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। तत्पश्चात उक्त प्रकरण कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर क्रमांक 96 दिनांक 05.01.2024 के अनुसरण में क्षेत्राधिकार परिवर्तन किये जाने स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिस दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिवक्ता पक्षकारान को तद्नुसार सूचित कराय गया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 20.09.2024 को सुनी गई। **अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि** उक्त भुखण्ड पर निर्माण हेतु अपीलार्थी द्वारा विधिवत आवेदन दिनांक 18.02.2021 को प्रस्तुत किया, जिसे करीब 45 दिवस से अधिक समय हो जाने पर न्यास द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की गई। धारा 73 युआईटी एक्ट के तहत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 17/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/78) **श्री बसन्तीलाल लोढ़ा बनाम तहसीलदार नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मान्य स्वीकृति डिम्ड परमीशन की परिभाषा में ही आती है, जिसके आधार पर अपीलार्थी को कानूनी प्रावधानों के तहत निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई और नियमानुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त प्रावधानों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपीलार्थी स्वयं द्वारा यह भी कथन किया गया कि उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया जावें, जिससे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत पुनः नये सिरे से निर्णय पारित हों।

अधीनस्थ न्यायालय प्रत्यर्थी के ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी द्वारा न्यायहित में प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने पर अपनी अनापत्ति जाहिर की।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि नगर विकास प्रन्यास के भू-अभिलेख निरीक्षक श्री बाबुलाल तेली एवं पटवारी श्री लक्ष्मण मेघवाल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम आयड़ के आराजी संख्या 1357, 2698/1358 के भुखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट में बिना सेट बेक छोड़े हुए मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माण न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-91ए के तहत अवैध होने से तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उक्त अवैध निर्माण को 07 दिवस में स्वतः अपने स्तर पर हटा लेने अन्यथा बाद मयाद गुजरने के कभी ध्वस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 16.06.2021 पारित किया गया, उक्त निर्णय से व्यथीत होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

दौराने बहस अपीलार्थी स्वयं द्वारा नगर सुधार अधिनियम की धारा-73 के तहत डीम्ड निर्माण स्वीकृति का हवाला दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात पर बिना विचार विश्लेषण उपरान्त पारित निर्णय को अविधिक बताया जाकर कथन प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया जावें, जिससे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत पुनः नये सिरे से निर्णय पारित हों। उक्त कथनों पर नगर विकास प्रन्यास की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति जाहिर की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में आवेदन प्राप्ति के निर्धारित अवधि समाप्त होने उपरान्त डिम्ड स्वीकृति के संबंध में अपने निर्णय में कोई विनिश्चय नहीं किया गया जो किया जाना था। नगर विकास प्रन्यास की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व विधिक प्रावधानों के आधार पर **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2021 अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधिक प्रावधानों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात की अपेक्षित जांच की कार्यवाही उपरान्त नियमानुसार निर्णय पारित करें।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी, R.A.S.)
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर